

बिहार सरकार  
भवन निर्माण विभाग

अधि०सं०-भवन/10-विविध(गयाजी)-02/2026.....25966/ पटना, दिनांक- 16/3/26

:: संकल्प ::

Construction of 20 Unit P.O Quarter (G+5) 4 Unit of such type i.e, 80 P.O. Qtr. and Community center in Judicial Colony, Gaya including electrification Work के निर्माण कार्य के संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच मुख्य अभियंता (गुणवत्ता अनुश्रवण) से करायी गयी, जिसमें गंभीर त्रुटियां पाये जाने के फलस्वरूप इसकी जांच पुनः भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना से करायी गयी। इन जाँच प्रतिवेदनों में निम्नांकित गम्भीर त्रुटियाँ प्रतिवेदित की गयी है :-

- i. राफ्ट की ढलाई 03 परत में पाई गई तथा कोर कटिंग कराए जाने के उपरांत ज्ञात हुआ कि लगभग 450 एम.एम. मोटाई में पी०सी०सी० के स्थान पर ईट का टुकड़ा भरा हुआ पाया गया।
- ii. कई स्थानों में PCC कार्यों में Crack पाया गया।
- iii. Water Tank में Leakage पाया गया है।
- iv. Punning Plaster Work ठीक नहीं पाया गया है।
- v. Plaster लेबल में नहीं किया गया है।
- vi. PCC Floor में सोलिंग के नीचे लोकल बालू के जगह मिट्टी पाया गया है।
- vii. 250mm Wide Brick Drain नहीं पाया गया।
- viii. Wash Hand Basin 630X450mm के स्थान पर 540X400mm पाया गया।

मुख्य अभियंता, गुणवत्ता अनुश्रवण से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में श्री शम्स आजम, तत्कालीन सहायक अभियंता, भवन प्रमंडल गयाजी सम्प्रति योजना अभियंता, मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग से स्पष्टीकरण की मांग की गई। स्पष्टीकरण के उत्तर प्रतिवेदन में श्री आजम द्वारा कहा गया है कि अन्य कार्यों में व्यस्तता के कारण वे लंबे समय तक प्रश्नगत योजना के निर्माण कार्य का स्थल निरीक्षण एवं अनुश्रवण नहीं कर सके। इस प्रकार मुख्य अभियंता, गुणवत्ता अनुश्रवण के प्रतिवेदन एवं श्री शम्स आजम, तत्कालीन सहायक अभियंता, भवन प्रमंडल गयाजी सम्प्रति योजना अभियंता, मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग के द्वारा की गई स्वीकारोक्ति से स्पष्ट है कि उनके द्वारा लंबी अवधि तक योजना के निर्माण कार्य का स्थल निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण नहीं किया गया, जिसके कारण संवेदक को योजना के निर्माण कार्य में गंभीर अनियमितता बरतने का अवसर मिला। निर्माण कार्य में बरती गई उक्त अनियमितता तत्कालीन सहायक अभियंता श्री शम्स आजम के दायित्वों के प्रति लापरवाही, अनुश्रवण की कमी तथा विभागीय आदेशों की अवहेलना का द्योतक है।


मुख्य अभियंता (गुणवत्ता अनुश्रवण) द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आलोक में भवन निर्माण कार्य के पर्यवेक्षण में गम्भीर लापरवाही तथा गुणवत्ता मानकों के उल्लंघन के आरोप में सम्यक् विचारोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा निम्नांकित निर्णय लिया गया :-

1. श्री आजम के विरुद्ध अनुशासनिक कारवाई प्रारंभ की जाय तथा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9 (1) (क) एवं (ग) में निहित प्रावधानों के तहत इनका मुख्यालय अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, भवन अंचल, मुजफ्फरपुर निर्धारित करते हुए आदेश निर्गत की तिथि से निलंबित किया जाय। निलंबन अवधि में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10 के प्रावधानों के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

उक्त निर्णय के आलोक में :- श्री आजम के विरुद्ध अनुशासनिक कारवाई प्रारंभ की जाती है तथा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9 (1) (क) एवं (ग) में निहित प्रावधानों के तहत इनका मुख्यालय अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, भवन अंचल, मुजफ्फरपुर निर्धारित करते हुए आदेश निर्गत की तिथि से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10 के प्रावधानों के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
(शिव रंजन)

सरकार के संयुक्त सचिव,  
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।


ज्ञापांक- भवन/10-विविध(गयाजी)-02/2026.....2596(अ)/ पटना, दिनांक-.....16/3/26

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/गयाजी/मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के संयुक्त सचिव,  
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- भवन/10-विविध(गयाजी)-02/2026.....2596(अ)/ पटना, दिनांक-.....16/3/26

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव/सभी अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग/सभी संयुक्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी उप सचिव/श्री शम्स आजम, तत्कालीन सहायक अभियंता, भवन प्रमंडल गयाजी सम्प्रति योजना अभियंता, मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग/सभी अवर सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, राजपत्रित स्थापना प्रशाखा/आई.टी. प्रबंधक, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के संयुक्त सचिव,  
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।